

आदेश

तिथि

Apr 9 2023

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा रामपुर थाना मोहनपुर

खाता	प्लॉट	रकबा
65.6	299	0 एकड़, 3.53 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री विजय भारत	पिता	श्री श्रीनारायण खवाड़े

हे जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 1220 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री विजय भारत	पिता	श्री नारायण खवाड़े

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है की आवेदकगण आवेदित भूमि को पंजी II रैयत के आम मोख्तार से निबंधित केवाला दलील से क्रय कर हाता के रूप में दखलकार है अमीन के मापी प्रतिवेदन के आधार पर उक्त भूमि दाग 299 के अंतर्गत है उक्त कामत सत्व की है जो उपायुक्त देवघर के ज्ञापांक 205/ विधि दिनांक 09.09.2016 के द्वारा हस्तांतरणीय योग्य है अतः निबंधित दलील एवं दखल के आधार पर नामान्तरण की स्वीकृति की अनुशंसा की जा सकती है अतः प्रतिवेदन के आधार पर नामान्तरण वाद को स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **15रुपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
VAIBHAV KUMAR SINGH

अंचल निरीक्षक मोहनपुर

STATE OF JHARKHAND
REGISTRATION
ATLESH
20/12/2019

रानी सिंह

संजीव कुमार सिंह

Ssingh